न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा

विविध (आपूर्ति) अपील वाद संख्या– 18/19.

आवेदकः– अनिल पासवान पिता– अमोली पासवान,
वार्ड नं०– 05 गोलमा पश्चिमी, प्रखंड– पतरघट,
थाना– सौरबाजार, जिला– सहरसा।

बनाम

राज्य।

–:आदेशः–

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ आवेदक के ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में की गई है। आवेदक का कहना है कि यह आवेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना के सी०डब्लु०जे०सी० वाद संख्या– 13072/2019 में दिनांक 27.07.19 को पारित आदेश के आलोक में दाखिल किया गया है। दाखिल आवेदन के संबंध में आवेदक का कथन है कि इनके साथ सुमन कुमार साह पिता बालेश्वर प्रसाद साह ने भी प्रखंड पतरघट अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोलमा पश्चिमी में जनवितरण प्रणाली विक्रेता दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दाखिल किया था। सुमन कुमार साह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराये बिना गलत रूप से उन्हें अनुज्ञप्ति दे दिया गया। इनके ओर से दिनांक 25.01.2019 को दाखिल आपत्ति आवेदन पर भी समुचित विचार नहीं किया गया।

आगे आवेदक द्वारा अनुलग्नक 7,8,9 की प्रति दाखिल कर कहा गया कि इन अनुलग्नकों में अंकित बिन्दुओं पर उचित विचार नहीं किये जाने को लेकर इनके ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्लु०जे०सी० वाद संख्या– 13072/19 दाखिल किया गया था। जिसमें दिनांक 27.07.2019 को आदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी अनुलग्नक 7,8,9 में अंकित बिंदुओ की सुनवाई कर 90 दिनो के अंदर आदेश पारित करें। आवेदक के ओर से अनुलग्नक 7,8,9 की छायाप्रति व माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्लु०जे०सी० वाद संख्या– 13072/19 के अन्तर्गत पारित आदेश के बजाप्ता नकल की छायाप्रति दाखिल कर अंकित बिंदु के संबंध में उचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के ओर से दाखिल अनुलग्नक 7.8.9 में अंकित बिंदु के संदर्भ में वास्तविकता से अवगत होने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सहरसा को भी उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सहरसा भी निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। आवेदक के साथ अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सहरसा को विस्तार से सुना।

क्रमांक	आवेदक श्री अनिल पासवान के द्वारा लगाया गया आरोप।	अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर	निष्कर्ष
01	02	03	04
01	**Annexure-07** आवेदक श्री अनिल पासवान पिता अमोली पासवान, साकिन गोलमा पश्चिम, वार्ड नं०–05, थाना–	अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा का इस संबंध में कहना है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के तहत जन वितरण प्रणाली	इस बिन्दु में आवेदक का तर्क पोषणीय नहीं है क्योंकि विपक्षी श्री सुमन कुमार साह द्वारा नगर परिषद् क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज नाम को

	सौरबाजार (ओ०पी० पतरघट), अंचल– पतरघट, जिला– सहरसा का आरोप है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश– 2016 के तहत नई जन वितरण प्रणाली की दुकान के लिए आमंत्रित किये गये आवेदनों की कुल– 06 (छह) शर्तों में से क्रम संख्या– 01 पर दर्ज शर्त "आवेदक उक्त पंचायत के उक्त वार्ड का स्थायी निवासी हो" एवं क्रमांक– 05 पर दर्ज शर्त "आवेदक किसी भी परिस्थिति में दो क्षेत्रों का निवासी एवं मतदाता सूची में नामित न हो" का उल्लंघन करते हुए पदाधिकारियों / कर्मियों के संरक्षण के कारण तथा पैसा एवं पहुँच के बल पर सहरसा नगरपरिषद् के वार्ड नं०– 35, गृह संख्या– 17, मतदाता सूची भाग संख्या– 2124, मतदाता पहचान पत्र संख्या– ZOU0127175 में नाम होते हुए भी गोलमा पश्चिमी पंचायत वार्ड नं०– 05 के मतदाता सूची क्रम संख्या– 307, मतदाता पहचान पत्र संख्या– WZQ0562264, गृह संख्या– 57 पर अपनी आयु 27 वर्ष दर्शा कर नाम शामिल करवा कर दो स्थानों पर निवास करने के बावजूद भी श्री सुमन कुमार साह पिता श्री बालेश्वर प्रसाद साह जन वितरण प्रणाली के तहत नई दुकान के लिए आवेदन समर्पित किया।	के नई दुकानों की स्वीकृति हेतु प्रखंड पतरघट के ग्राम पंचायत गोलमा पश्चिमी में अनारक्षित कोटि के 01 (एक) रिक्ति के विरूद्ध कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए। बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश– 2016 के प्रावधनों के अनुरूप सही आवेदनों आपत्तियों / दावों की जाँचोपरांत मेधा सूची तैयार की गई। श्री सुमन कुमार साह पिता श्री बालेश्वर प्रसाद साह, ग्राम बथनाहा, वार्ड नं० 05, ग्राम पंचायत गोलमा पश्चिमी, पतरघट के आवेदन के साथ अंचल अधिकारी पतरघट द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र संख्या– TR/18/00385 दिनांक 11.01.2018 में इनका स्थीय पता ग्राम बथनाहा, वार्ड नं० 05, पोस्ट गोलमा, थाना सौरबाजार, प्रखंड पतरघट, जिला सहरसा दर्ज रहने तथा सभी अभ्यर्थियों से उच्चतर शैक्षणिक योग्यता तथा कम्प्युटर ज्ञान का प्रमाण पत्र रहने के आधार पर बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश– 2016 के प्रावधानों के अनुरूप श्री सुमन कुमार साह का नाम नई अनुज्ञप्ति हेतु जिला चयन समिति को चयन हेतु अनुशंसा की गई। दिनांक–07.03.2019 को सम्पन्न हुए जिला चयन समिति की बैठक में मेधा सूची के क्रम संख्या–01 पर श्री सुमन कुमार साह का नाम रहने के फलस्वरूप इनका चयन किया गया। श्री अनिल पासवान से आपत्ति प्राप्त होने के उपरान्त श्री सुमन कुमार साह का नगर परिषद् सहरसा के वार्ड नं०–35 के मतदाता पहचान पत्र संख्या– ZOU0127175 का सत्यापन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	विलोपित करने हेतु सम्पमय संबंधित निर्वाचक निबधक पदाधिकारी के यहाँ प्रपत्र (7) में आवेदन दिया गया है। श्री सुमन कुमार साह के प्रखंड कार्यालय से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं उप प्रमुख, पतरघट के द्वारा दाखिल लिखित बयान से यह स्पष्ट है कि श्री साह वार्ड नं० 05, पंचायत गोलमा पश्चिमी के सदस्य है एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यता रहने के कारण श्री सुमन कुमार साह को अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है। अतः आवेदक का यह आरोप निराधार है।

	श्री सुमन कुमार साह के बड़े भाई पवन कुमार साह पिता श्री बालेश्वर साह एवं भाभी मुन्नी देवी का नाम भी वार्ड नं०–35 सिमराहा नगर परिषद् के मतदाता सूची क्रम संख्या– 2122 एवं 2123 पर दर्ज है एवं BPL सूची में भी अपना नाम दर्ज कराये हुए हैं। उप प्रमुख पतरघट प्रखंड श्री दिनेश प्रसाद यादव के द्वारा भी आरोप लगाया है कि सुमन कुमार साह का नाम नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं०–35 में भी दर्ज है और श्री साह नगर क्षेत्र में ही निवास करते हैं। आवेदक का आगे कहना है कि आपत्ति के बाद भी सुमन कुमार साह आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को उपकृत कर अपना नाम सूची में प्रथम स्थान पर दर्ज करवा लिया है और ग्रामीणों के विरोध अपर समाहर्त्ता को समर्पित करने के बावजूद भी इन्हें ही अनुज्ञप्ति दिया जा रहा है। उक्त के साथ आवेदक द्वारा अभ्यर्थी संख्या– 02 अमित कुमार पिता श्री कोमल प्रसाद यादव के संबंध में घर के पास पूर्व से ही जन वितरण प्रणाली की दुकान होने, इनकी माँ के वार्ड सदस्य होने तथा गोदाम भी नहीं रहने का आरोप लगाया गया है। आवेदक द्वारा साक्ष्य	के वेबसाईट पर किया गया जिसमें आरोप सही पाया गया। परन्तु श्री सुमन कुमार साह के नगर परिषद् सहरसा के वार्ड नं०– 35 के मतदाता सूची से नाम हटाने हेतु उनके भाई पवन कुमार साह द्वारा प्रपत्र 07 में आवेदन किया गया है, जिसका उन्होंने पावती रसीद की छायाप्रति समर्पित किया है, जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। श्री दिनेश प्रसाद यादव उप प्रमुख पतरघट के आरोप के संबंध में स्वयं उप प्रमुख श्री यादव के द्वारा अपने पत्र संख्या– 07–1 दिनांक 18.01.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री सुमन कुमार साह के नगर परिषद् सहरसा के वार्ड नं०–35 का निवासी होने के संबंध में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आवेदन/आपत्ति कहीं नहीं दी है। उनका जाली हस्ताक्षर से किसी ने आवेदन दिया है। श्री यादव उप प्रमुख पतरघट प्रखंड के द्वारा अपने इस पत्र में ही कहा गया है वह श्री सुमन कुमार साह पिता श्री बालेश्वर प्रसाद साह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जो ग्राम बथनाहा, वार्ड नं० 05, ग्राम पंचायत गोलमा पश्चिमी, थाना सौरबाजार प्रखंड पतरघट के निवासी हैं। उप प्रमुख पतरघट प्रखंड के समर्पित पत्र की छायाप्रति इनके ओर से साक्ष्य के रूप में संलग्न की गई है। श्री अनिल पासवान के द्वारा आवेदक संख्या–02 श्री अमित कुमार पिता– श्री कोमल प्रसाद यादव पर लगाये गये आरोप/आपत्ति की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्तर कटैया से करवायी गयी। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि श्री अमित	

	के रूप में वार्ड नं०– 35 सिमराहा तथा वार्ड नं०–05, गोलमा पश्चिमी के मतदाता सूची की छायाप्रति दाखिल की गई है।	कुमार के घर से 03 किलोमीटर की दूरी पर जन वितरण प्रणाली की दुकान है। वर्त्तमान में इनकी माँ वार्ड सदस्य है। साक्ष्य के रूप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्तर कटैया के प्रतिवेदन की छायाप्रति इनके द्वारा संलग्न की गई है।	
02	**Annexure-08** इसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा पूर्व के आरोपों को दोहराते हुए कह गया कि श्री सुमन कुमार साह के भाई पवन कुमार साह एवं भाभी मुन्नी देवी का नाम भी नगर परिषद् वार्ड नं०– 35 के मतदाता सूची में दर्ज है। वार्ड पार्षद वार्ड नं०–35 नगर परिषद् सहरसा श्री अरूण कुमार निराला के द्वारा सुमन कुमार साह का आचरण प्रमाण पत्र सत्यापन किया गया है। जो यह साबित करता है कि सुमन कुमार साह दो निवार्चन क्षेत्र के निवासी हैं। आवेदक का यह भी कहना है कि सुमन कुमार साह द्वारा जो जमीन का खाता एवं खेसरा संख्या दिया गया है, वहाँ जाने के लिए पहुँच पथ नहीं है एवं गोदाम भी नहीं है।	अनुमंडल पदाधिकारी का इस संबंध में कहना है कि आवेदक द्वारा लगाया गया यह आरोप कि श्री सुमन कुमार साह के भाई पवन कुमार साह एवं भाभी मुन्नी देवी का नाम भी नगर परिषद के वार्ड नं०–35 के मतदाता सूची में दर्ज है, तथ्यहीन है। आवेदक द्वारा लगया गया यह आरोप कि श्री सुमन कुमार साह के द्वारा जो भी जमीन का खाता एवं खेसरा संख्या दिया गया है वहाँ जाने के लिए पहुँच पथ एवं गोदाम नहीं है के संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्तर कटैया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित दोनों आरोप गलत है। साक्ष्य के रूप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्तर कटैया के प्रतिवेदन की छायाप्रति इनके ओर से संलग्न की गई।	आपूर्ति पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक का यह तर्क गलत है। अतः अस्वीकृत।
03	**Annexure-09** आवेदक द्वारा Annexure-07 एवं 08 में वर्णित आरोपों की पुनरावृति. कर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कांनूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।	अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा का कथन है कि इनके द्वारा पूर्व में लगाये गये आरोपों की पुनरावृति की गई है जिस संबंध में वस्तुस्थिति का उल्लेख एवं साक्ष्य समर्पित किया जा चुका है।	Annexure-07 एवं 08 में पारित आदेश के आलोक में अस्वीकृत।

उक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुलग्नक 7,8,9 में आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप में सत्यता का अभाव है। अतः आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक ......215......./न्याया०, समाहर्त्ता, सहरसा, दिनांक 09.07.20.

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
सहरसा।